<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर</u>।

UPSD010006502026

Bail Application/316/2026

नितीश कुमार उर्फ भोकू पुत्र देवानन्द
साकिन– ग्राम पिपरा दोयम थाना शिवनगर डिड़ई जनपद–सिद्धार्थनगर।

-----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

सरकार उ०प्र०

----विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–15/2026
धारा–137(2),87,127(2) बी.एन.एस.
थाना–शिवनगर डिड़ई, जिला सिद्धार्थनगर।

<u>दिनांक–28–03–2026</u>

1. अभियुक्त नितीश कुमार उर्फ भोकू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–15/2026, धारा–137(2),87,127(2) बी.एन.एस. थाना–शिवनगर डिड़ई, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रामरती पत्नी स्व० केदार द्वारा थाना शिवनगर डिड़ई में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि उसकी लड़की को दिनांक 13.02.2026 को समय सुबह 06.00 बजे गाँव के ही आवेदक/ अभियुक्त भोकू बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता को दिनांक 14.02.2026 को सुबह 09.00 बजे आवेदक/ अभियुक्त के रिस्तेदार ज्योति के घर से बरामद किया गया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये आवेदक/ अभियुक्त की तरफ से कहा गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई जुर्म कारित नहीं किया है। आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया है। आवेदक/ अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा किसी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। पीड़िता बालिग है। पीड़िता को आवेदक/ अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं किया गया है। आवेदक/ अभियुक्त जमानत मुचलका देने व न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त के ऊपर वादिनी मुकदमा की लड़की को उसकी इच्छा के विरूद्ध बहला फुसलाकर भगा ले जाने का गम्भीर आरोप है। आवेदक/ अभियुक्त पर आरोपित धारा 10 वर्ष तक की कारावास से दण्डनीय है। अतः आवेदक/ अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने के तर्क प्रस्तुत किया गया है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा पीड़िता को बहला फुसला कर भगाया नहीं गया है, न ही उसका व्यपहरण किया गया है। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 20.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है।

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.28 16:31:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय की तहरीर पीड़िता की माता ने लिखायी कि दिनांक 13.02.2026 को सुबह 06.00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त शादी का झांसा देकर लेकर चला गया। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस में यह कथन किया है कि जब वह सुबह 06.00 बजे घूमने के लिए गांव के बाहर गयी थी तो भीखू व ज्योति उसे जबरन दोपहिया गाड़ी पर बैठाकर उसके मुँह में कपड़ा ठूसकर उसे उठाकर ले गये व उसे एक कमरे में ताला लगाकर बन्द कर दिये तथा पीड़िता द्वारा जबरन दरवाजा खुलवाये जाने पर व मोबाइल मांगने पर दरवाजा खोला गया तथा पीड़िता ने मोबाइल से अपनी माँ से बात की।

7. पीड़िता ने उक्त बयान में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि जहाँ उसे रखा गया वहाँ उसका विवाह करने का कोई इंतजाम था, न ही पीड़िता द्वारा ऐसा कोई कथन किया गया कि उसके साथ कोई अनैतिक कृत्य किया गया हो बल्कि सह अभियुक्ता ज्योति द्वारा ही उसे मोबाइल दिये जाने, जिससे उसने अपनी माँ से सम्पर्क किया का कथन पीड़िता ने किया है। पीड़िता के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है। अतः जबकि आवेदक/ अभियुक्त युवा है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है व दिनांक 20.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त की जेल में निरूद्धि को दृष्गित रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>**आदेश**</u>

8. आवेदक/अभियुक्त नितीश कुमार उर्फ भोकू का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०−50,000/−(पचास हजार) रूपये का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः−

i. आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा।
ii. आवेदक/अभियुक्त, अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा और न ही साक्षियों को प्रभावित करेगा या उन्हें प्रलोभन देगा।
iii. आवेदक/अभियुक्त आरोप, साक्ष्य, धारा−313 दं०प्र०सं० के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा तथा विवेचक / न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से तलब किये जाने पर उपस्थित रहेगा।
iv. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लघंन पर विचारण न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा

9. इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को जरिये ई−मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि उक्त आदेश का इन्द्राज e−prison साफ्टवेयर में करें तथा यदि सात दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर को तथा यदि एक माह के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करें। बाद सत्यापन अभियुक्त का रिहाई परवाना जिला कारागार भेजा जाए।

दिनॉकः−28−03−2026

(मनोज कुमार तिवारी−I)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736